



## सूचना

एतद्वारा वित्त समिति के बैठक दिनांक-06.01.2020 में लिए गए निर्णय के क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त जनपदों के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि शिक्षक चयन की प्रक्रिया हेतु कक्ष आवंटन हेतु शुल्क रू0-3000.00 (तीन हजार रुपये) की डी0डी0 प्रत्येक महाविद्यालय हेतु निर्धारित किया गया था।

इस सन्दर्भ में मा0 कुलपति जी की अनुमति के क्रम में अवगत कराना है कि अब अतिथि गृह में शिक्षक चयन हेतु कक्ष आवंटन की निर्धारित शुल्क पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 (3000+12%GST= कुल 3360) की डी0डी0 जमा होगा।

भवदीय

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

347

दिनांक- 05/11 /2024

पत्रांक 183 /सूचना/2024

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. प्रभारी अतिथि गृह, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट तथा कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।